न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –28/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर

...प्रार्थी

बनाम

1. महेशचन्द पुत्र गिरधारीलाल कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास –मृतक
   1/1. अनिल कुमार चंसोरिया पुत्र महेशचंद
   1/2. ममता पुत्री महेशचंद पत्नि विनयकुमार नि0 डीग
   1/3. अन्जू पुत्री महेशचंद पत्नि लोकेश शर्मा मालवीय नगर जयपुर, जिला जयपुर–मृतक
2. उषादेवी पत्नि प्रदीपकुमार कौम वैश्य निवासी रूपवास तहसील रूपवास भरतपुर।

...अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1244/4 रकबा 0.15 बीघा व 1244/1 रकबा 23.18 बीघा के विरूद्ध/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–
1–पैरोकार सरकार,
2–श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा अभि0 अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांकः– 06.05.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1244/4 रकबा 0.15 बीघा गै0मु0 खान व 1244/1 रकबा 23.18 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत् 2069–72 में ख0न0 1244/4 रकबा 0.15 बीघा किस्म गै0मु0 खान में अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा ख0न0 1244/1 रकबा 23.18 बीघा गै0मु0आबादी राजकीय खाता संख्या 01 में निवास स्थान एवं बस्तियां के रूप में दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0 खान के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत् 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 1244/29.03 बीघा के रूप में रहा है। उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2012–15 के राजकीय खाता संख्या 714 में अंकित कुल 29.03 बीघा में से 1.00 बीघा पर

अतिरिक्त ज़िला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हुक्मन उपजिलाधीश बयाना आदेश दिनांक 16.10.1968 से गिरधारीलाल पुत्र खच्चीराम खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 1529,2854 विरासत, भूमि रूपान्तरण व विकय से 0.15 बीघा पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ व 0.05 बीघा पर गै0मु0 आबादी के रूप दर्ज हुआ जो वर्तमान में रकबा 23.18 के रूप में दर्ज है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमियों में से है जिसका नियमन नही किया जा सकता है और उस पर विनियमन व खातेदारी अधिकार देना विधिविरूद्व है। मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.082004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि पर हुक्मन उपजिलाधीश बयाना के आदेश से दर्ज खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तकरण संख्या 664,913,1529 व 2854 इत्यादि को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर ख0न0 1244/4 रकबा 0.15 बीघा किस्म गै0मु0 खान तथा ख0न0 1244/1 रकबा 23.18 बीघा गै0मु0आबादी से 0.05 बीघा अर्थात् कुल रकबा 1.00 बीघा हुक्मन उपजिलाधीश बयाना व खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 664,913,1529 व 2854 को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गै0मु0 खान दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत्त श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 664,913,1529 व 2854 को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार सरकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी संवत् 2012 में मकबूजा मजकूर रही है तथा भूराजस्व अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत नही आती है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के बाबा गिरधारीलाल के जीवनकाल से ही खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी पैत्रिक है। प्रकरण में विवादित आराजी 1 बीघा पर हुक्मन उपजिलाधीश बयाना आदेश दिनांक 16.10.1968 से नामान्तकरण संख्या 664 से जमाबंदी संवत् 2020 के खाता संख्या 48 में गिरधारीलाल पुत्र खच्चीराम खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 1529,2854 विरासत व विक्रय से 15 बिस्वा पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ व 5 बिस्वा पर आदेश दिनांक 22.6.1995 से तहसीलदार रूपवास द्वारा भूमि रूपान्तरण आदेश आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु नियमित किया गया। यदि विवादित आराजी आरक्षित होती तो तहसीलदार उक्त भूमि का सपरिवर्तन आदेश ही जारी नही करता। बल्कि अप्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है जिसके नियमन आदेश दिनांक 22.06.1995 को ख0न0 1244/1 से 0.05 बीघा आवासीय प्रयोजनार्थ किये गये है तथा 1244/4 रकबा 0.15 बीघा पर रिहायश हो रही है मौके पर कोई खान मौजूद नही है केवल किस्म ही गै0मु0खान दर्ज होने से धारा 16 आरटीएक्ट में वर्णित भूमियों में नही माना जा सकता है। इसलिए इनका रैफरेन्स नही किया जा सकता है और आदेश दिनांक 16.10.1968 उपजिलाधीश बयाना तथा आदेश दिनांक 22.06.1995 तहसीलदार रूपवास के प्रभावी रहते हुये रैफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। अतः रैफरेन्स प्रार्थना खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर ख0न0 1244/4 रकबा 0.15 बीघा किस्म गै0मु0 खान तथा ख0न0 1244/1 रकबा 23.18 बीघा गै0मु0आबादी से 0.05 बीघा अर्थात् कुल रकबा 1.00 बीघा वाकेग्राम रूपवास तहसील रूपवास पर दर्ज खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये नामान्तकरण संख्या 664,913,1529 व 2854 को निरस्त करने तथा विवादित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.082004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2025 के अनुसार जमाबंदी संवत् 2069-72 में खसरा नम्बर नम्बर 1244/1/23.18 किसम गै0मु0आबादी खाता नम्बर 01 सरकारी भूमिया निवास एवं बस्तियों में दर्ज रिकार्ड है तथा ख0न01244/1 पर सघन आबादी बसी हुई है। ख0न0 144/4 रकबा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

0.15 गै0मु0 में महेशचंद पुत्र गिरधारीलाल हि08/9 कौम ब्राह्मण सा0देह उषादेवी पत्नी प्रदीप कुमार हि01/9 कौम वैश्य सा0देह खातेदार दर्ज है ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1244 रकबा 29.03 बीघा राजकीय खाते में किस्म गै0मुमकिन दर्ज रिकार्ड तथा जमाबंदी संवत् 2017–2020 में खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 1244 मिन रकबा 0.05 बीघा किस्म गै0मु0खान पर गिरधारीलाल बल्द खच्चीराम कौम ब्राह्मण सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है। जमाबंदी संवत् 2049–52 में खसरा नम्बर 1244 मिन रकबा 0.15 में गै0मु0 दर्ज है जो महेशचंद पुत्र गिरधारीलाल कौम ब्राह्मण सा0देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण संख्या 664 से गिरधारी बल्द खच्चीराम कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार हुक्मन उपजिलाधीश बयाना से खातेदार दर्ज हुआ है तथा नामा0स0913 से ख0न0 1244/12.03 आबादी हेतु एलॉटमेन्ट कमेटी के आदेश से दर्ज हुआ है। नामान्तकरण संख्या 1528 से महेशचंद पुत्र गिरधारीलाल के स्थान पर जरिये भूमि रूपान्तरण आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 13.2.1992 से 05 बिस्वा पर गै0मु0आबादी तथा शेष 0.15 पर खातेदार महेशचंद पुत्र गिरधारीलाल कौम ब्राह्मण सा0देह दर्ज हुआ है। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 2854 से जरिये बयनामा महेशचंद के स्थान पर उषादेवी पत्नि प्रदीपकुमार कौम वैश्य सा0देह खातेदार हि01/9 बाकि हिस्सा 8/9 महेशचंद बदस्तूर स्वीकार हुआ है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार 1244/1 रकबा 23.18 किस्म गै0मु0आबादी दर्ज है तथा मौके पर सघन आबादी बसी हुई है।

जमाबंदी सम्वत् 2012 में किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज नही रही है और न ही भूमि धारा 16 में वर्णित भूमियों की श्रेणी में गै0मु0 खान किस्म आती है। **माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0 दिनांक 20.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"**। प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया है जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:–

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 1244/4 व 1244/4 के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साबिक खसरा नम्बर 1244 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।
3. विवादित आराजी की किस्म गै0मु0खान होने के सबंध में राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती हो, का उल्लेख नही किया गया है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के कम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)